

न्यायालय अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट चूरु

पीठासीन अधिकारी : अर्पिता सोनी (आर.ए.एस)

इस्तगासा संख्या 2023/10

दायर दिनांक 25.01.2023

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु जिला चूरु (राजस्थान)

—सायल—

बनाम

धर्मवीर पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी मांगला पुलिस थाना

राजगढ़ जिला चूरु।

—गैरसायल—

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राज. गुण्डा नियन्त्रण अधि० 1975

उपस्थित :-

1. अभियोजन अधिकारी (पैरोकार राज.) वास्ते सायल।
2. गैरसायल की ओर से श्री शेरसिंह पूनिया एड.।

निर्णय


दिनांक : 11.11.2025

यह इस्तगासा पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत होने पर इस न्यायालय में दर्ज ऑनलाईन किया गया। इस्तगासा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है गैरसायल धर्मवीर पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी मांगला पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरु का रहने वाला है जो अवैध जुआ सट्टा करने का आदी है। जिसका उक्त कृत्य अपराध होने के साथ-साथ एक सामाजिक बुराई है। इसका समाज के लोगों व नवयुवकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गैर सायल ऐसा दुःसाहसिक एवं भयावह व्यक्ति हो चुका है, कि उक्त अपराध कारित करने में कतई नहीं डरता है और आमजन साधारण में इसका भय इस कदर व्याप्त है, कि कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध शिकायत करने का साहस तक नहीं कर पाता है। इसकी आपराधिक गतिविधियां काफी गम्भीर हैं, मगर पुलिस की नजरों से बचने का प्रयास करता रहता है, जिस कारण कई बार पकड़ में नहीं आता है। ऐसी परिस्थितियों में कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। गैरसायल की बढ़ती हुई गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाना आवश्यक है। गैरसायल धर्मवीर के विरुद्ध निम्नांकित मुकदमें दर्ज होकर सजायाब हुआ है।

क.स.	मुकदमा न० एवं दिनांक	जुर्म धारा	नाम थाना	चालान दिनांक	फैसला अदालत
1.	442/31.10.2016	13 आरपीजीओ	राजगढ़	03.01.2017	सजा 03.01.2017
2.	526/08.12.2017	13 आरपीजीओ	राजगढ़	14.02.2018	सजा 14.02.2018
3.	293/23.07.2022	13 आरपीजीओ	राजगढ़	02.08.2022	पैण्डिंग कोर्ट

इस प्रकार से गैर सायल धर्मवीर की आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं एवं गरीब तबके के लोग अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के बारे में आशंकित हैं। इसकी ऐसी इसकी ऐसी गतिविधियां/ कार्य जिले व जिले के किसी भाग में सम्पत्ति को संत्रास खतरा हो रहा है या होने की संभावना है, जिससे समाज के नवयुवकों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक चूरु ने गैरसायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का निवेदन किया।





अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु

2023/10

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक चूरु बनाम धर्मवीर

गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया लेकिन जवाब इस्तगासा पेश नहीं किया गया जिस पर जवाब इस्तगासा बन्द किया जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

दौराने बहस गैरसायल अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने पर बहस इस्तगासा एकपक्षीय सुनी गई।


पैरोकार राज सहायक लोक अभियोजक चूरु ने बहस में कहा कि गैरसायल के विरुद्ध 13 आरपीजीओ के तहत 02 बार सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल अन्तर्गत धारा 3(3) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की परिभाषा में आता है। गैर सायल अपराधी गतिविधियों में भाग लेता है इसलिए गैरसायल को जिले से बाहर निष्कासित किया जावे ताकि समाज में शांति व्यवस्था कायम रह सके।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भली-भान्ति अवलोकन किया गया। इस्तगासा के अनुसार गैरसायल को 13 आर.पी.जी.ओ के तहत 02 बार चालान पेश कर सजा से दण्डित किया जा चुका है। गैरसायल की ओर से भी इस्तगासा में अंकित तथ्यों का कोई खण्डन नहीं किया गया। इस प्रकार राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत गैरसायल गुण्डा की परिधि में आता है।

उपर्युक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चूरु द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा धारा 3 राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम, 1975 विरुद्ध गैरसायल धर्मवीर पुत्र श्री शेरसिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी मांगला पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरु स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत 07 दिवस के लिए जिले से बाहर निर्वासित किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरु गैरसायल को थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू को सुपुर्द करेंगे जो कि थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू की देखरेख में 07 दिवस के लिए रहेगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना राजगढ़ जिला चूरु व थानाधिकारी पुलिस थाना पिलानी जिला झुंझुनू तथा पुलिस अधीक्षक चूरु को भेजी जावे। पत्रावली बाद कार्यवाही अभिलेखागार भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अर्पिता सानी)
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरु